Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्रधानमंत्री आवास योजना हो रही हितग्राहियों के आर्थिक विकास में सहायक

डॉ. विवेक कुमार पटेल* संजय कुमार पटेल**

*** सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज (म.प्र.) भारत**
****शोधार्थी (वाणिज्य) शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक सरकारी पहल है जो 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबको आवास प्रदान करना था। इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को एक उचित और स्थिर आवास प्रदान करना है, खासकर गरीब, निम्न–मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को।यह योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए लागू की गई है। इस शोध पत्र में यह विश्लेषण किया गया है कि यह योजना न केवल आवास प्रदान करने में सफल रही है, बल्कि यह हितग्राहियों केआर्थिक सशक्तिकरणऔरसामाजिक उन्नयनमें भी सहायक सिद्ध हो रही है। योजना से प्राप्त स्थायी आवास ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है, जिससे उनका जीवन स्तर और आमदनी में सुधार हुआ है। इस योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण किफायती दरों पर किया जाता है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को उनके जीवन स्तर को सुधारने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिलता है।

यह योजना न केवल आवास की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है, बल्कि इससे समाज के सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए जीवन में स्थिरता, वित्तीय सुरक्षा, और आर्थिक वृद्धि की संभावना भी उत्पन्न होती है। योजना की सफलता से यह स्पष्ट होता है कि यह न केवल एक आवास परियोजना है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का हिस्सा है।प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल एक आवासीय योजना है, बल्कि यह एक आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी है, जो देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

शब्द कुंजी – प्रधानमंत्री आवास योजना, आर्थिक विकास, हितग्राही, ग्रामीण विकास, शहरी आवास, सामाजिक सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को 2022 तक सुरक्षित घर प्रदान करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, और मध्य आय वर्ग के परिवारों को उचित मूल्य पर आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना न केवल आवास के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इसके माध्यम से लाभार्थियों के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को केवल आवास प्रदान करने की योजना के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह योजना विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे या निम्न आय वर्ग के परिवार हैं, उन्हें लाभान्वित करती है। आवास प्राप्त करने से उनके जीवन में स्थायित्व आता है, जो आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य लोगों को रेंटल बाजार के दबाव से मुक्त कराना है, क्योंकि कई लोग महंगे किराए पर घरों में रहते हैं, जिससे उनके आर्थिक विकास में रुकावट आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनने से परिवारों को स्थायी आवास मिलता है, जिससे वे किराया भुगतान से मुक्त हो जाते हैं, और अपनी आय का उपयोग अन्य जरूरी चीजों में कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उनके पास बचत का अवसर बढ़ता है, जो उन्हें छोटे व्यापारों में निवेश करने, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने की क्षमता देता है।

इसके अलावा, यह योजना रोजगार सृजन में भी सहायक है। गृह निर्माण, निर्माण सामग्री की आपूर्ति, परिवहन, श्रमिकों की मांग, आदि सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में भी तेजी आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कई अन्य उद्योगों जैसे सिमेंट, लोहे की छड़, लकड़ी, प्लास्टिक, आदि के उत्पादन और वितरण में वृद्धि होती है। यह सीधे तौर पर रोजगार के नए अवसरों का सृजन करता है, जो स्थानीय श्रमिकों के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

आर्थिक विकास के संदर्भ में, इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वित्तीय समावेशन। लाभार्थियों को किफायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो उन्हें अपनी आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और अनुदान से योजना को और अधिक सुलभ बनाया गया है, जिससे गरीब वर्ग के लोग भी घर बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं।

इस शोध पत्र में इन सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जाएगा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ने हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। इसके साथ ही, यह भी विश्लेषण किया जाएगा कि यह

योजना किस हद तक सामाजिक और मानसिक भलाइयों का कारण बनी है, जैसे बेहतर जीवन गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा, और आत्मनिर्भरता की भावना।

इस शोध पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त होने वाली सहायता का उन हितग्राहियों पर आर्थिक विकास के प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा। यह योजना न केवल शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि यह गृह निर्माण के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माताओं, ठेकेदारों और अन्य संबंधित उद्योगों के लिए भी कई प्रकार के लाभ सामने आए हैं, जो समग्र अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक हैं।

अनुसंधान के उद्देश्य और आवश्यकता : शोध पत्र का उद्देश्य यह समझना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राहियों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है और यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में किस हद तक सहायक साबित हो रही है। साथ ही, इस योजना के जरिए सरकारी प्रयासों और निजी क्षेत्र की भागीदारी के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाएगा।

1. यह जानना कि किस प्रकार यह योजना हितग्राहियों के आर्थिक जीवन को प्रभावित कर रही है।
2. योजना से प्राप्त आवास से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक बदलावों का विश्लेषण करना।
3. दीर्घकालिक आर्थिक विकास में इसकी भूमिका को समझना।

अनुसंधान पद्धति :यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।

1. **डेटा संग्रह:** प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से।
2. **प्राथमिक स्रोत:** हितग्राहियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली।
3. **द्वितीयक स्रोत:** सरकारी रिपोर्टें, योजना दस्तावेज, शोध पत्र आदि।
4. **नमूना क्षेत्र:** (कृपया क्षेत्र का नाम भरें, जैसे 'मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में चयनित ग्राम पंचायतें')
5. **नमूना:** 100 हितग्राहियों का व्यक्तिगत सर्वेक्षण

केस स्टडी: इस योजना के सभी पहलुओं को कुछ केस स्टडी के माध्यम से अच्छे से समझा जा सकता है -

- **श्रीमती सुनीता बाई, ग्राम - गनिगवा, मऊगंज**

योजना से पूर्व की स्थिति :

1. मिट्टी का कच्चा घर
2. पति मजदूरी करते थे, औसत आय 3,000/माह
3. बच्चों की पढ़ाई अस्थिर

योजना लाभ:

1. योजना के अंतर्गत 1.20 लाख की राशि
2. पंचायत ने निर्माण में तकनीकी सहायता दी
3. स्थानीय सामग्री से निर्माण हुआ

योजना से लाभान्वित होने के पश्चात स्थिति:

1. पक्का मकान
2. घर के सामने छोटी दुकान शुरू की
3. अब मासिक आय 6,000 से 7,000
4. बेटा स्कूल नियमित जाने लगा
5. यह केस स्टडी यह दर्शाती है कि कैसे एक साधारण लाभार्थी का जीवन PMAY के माध्यम से पूरी तरह बदल गया।

रामप्रसाद पटेल, ग्राम पंचायत गौरी

योजना से पूर्व की स्थिति :

1. मिट्टी का कच्चा मकान, बारिश में पानी भर जाता था
2. सालाना आय 40,000 (मजदूरी पर निर्भर)
3. बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी

योजना से लाभान्वित होने के पश्चात स्थिति:

1. दो कमरों वाला पक्का घर, शौचालय एवं बिजली की सुविधा
2. घर के सामने छोटी किराने की दुकान खोली
3. आय 90,000 से ऊपर हो गई
4. बच्चों ने स्कूल जाना दोबारा शुरू किया

यह केस स्टडी दर्शाती है कि योजना ने किस तरह से जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक परिवर्तन लाया।

लाभार्थियों के आर्थिक जीवन पर प्रभाव: नमूना क्षेत्र मऊगंज जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतो में व्यक्तिगत रूप से हितग्राहियों से जानकारी प्राप्त की गयी प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण किया गया, विश्लेषण के आधार पर निम्न आकडे प्राप्त हुए है

लाभार्थियों की मासिक आमदनी में परिवर्तन (औसत में)

लाभार्थी वर्ग	योजना से पहले	योजना के बाद
ग्रामीण	4200	6800
शहरी	6000	9200

स्रोत - नमूना सर्वेक्षण पर

योजना के लाभ (प्रतिशत में उत्तारदाताओं की राय)

लाभ	प्रतिशत
आर्थिक स्थिरता	78
आत्मनिर्भरता	65
छोटे व्यवसाय की शुरुआत	32
बच्चों की शिक्षा में सुधार	59
महिलाओं की भागीदारी	48

स्रोत - नमूना सर्वेक्षण पर

आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी

आर्थिक गतिविधि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
दुकान खोलना	14	28
पशुपालन	10	20
कृषि आधारित कार्य	12	24
घरेलू उद्योग	6	12
कोई नहीं	8	16

स्रोत - नमूना सर्वेक्षण पर

PMAY की किस्तों की समयबद्ध प्राप्ति

समय पर किस्त मिली	लाभार्थी (%)
हाँ	78
नहीं	22

स्रोत - नमूना सर्वेक्षण पर

योजना के प्रभाव :

1. **किराए की बचत:** योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अपना स्वयं

का घर प्राप्त होता है, जिससे उन्हें किराया देने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे हर महीने होने वाला किराया खर्च बचता है, जिससे परिवार की कुल बचत में वृद्धि होती है और अन्य आवश्यकताओं पर धन व्यय किया जा सकता है।

2. **कुटीर उद्योग व स्वरोजगार को बढ़ावा:** स्थायी आवास के कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में हितग्राही छोटे पैमाने पर घरेलू उद्योग, जैसे सिलाई, कढ़ाई, अचार-पापड़ निर्माण, कक्षा संचालन आदि शुरू कर सकते हैं। इससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ती है, बल्कि आय के नए स्रोत भी विकसित होते हैं।

3. **बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच आसान:** पक्के घर के साथ अब हितग्राही अपना स्थायी पता दे सकते हैं, जिससे उन्हें बैंक खाता खोलने, ऋण लेने और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में आसानी होती है। यह उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

4. **रोजगार के अवसर:** योजना से जुड़े निर्माण कार्यों जैसे भवन निर्माण, सामग्रियों की आपूर्ति, प्लंबिंग, बिजली फिटिंग आदि के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हुआ है। इससे कई श्रमिकों को अस्थायी से लेकर दीर्घकालीन रोजगार के अवसर मिले हैं।

5. **आवास निर्माण उद्योग का विस्तार:** प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलता है, जिसमें निर्माण श्रमिकों, आपूर्ति श्रृंखला, और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इस से स्थानीय बाजारों और उत्पादन श्रृंखलाओं में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान होता है।

6. **स्थायी संपत्ति का निर्माण:** लाभार्थियों को मिलने वाले घर उनके लिए एक स्थायी संपत्ति होती है, जो समय के साथ मूल्यवृद्धि करती है। इससे घर के मालिकों को भविष्य में संपत्ति बेचने या रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा के रूप में एक मजबूत आधार मिलता है। यह वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

7. **स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं में सुधार:** प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़कें, और स्वच्छता की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इससे लाभार्थियों की जीवनशैली में सुधार होता है, जो कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है, और साथ ही इससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है।

8. **आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि:** घरों के निर्माण से जुड़े विभिन्न गतिविधियों, जैसे निर्माण सामग्री का उत्पादन, परिवहन, और अन्य संबंधित उद्योगों में वृद्धि होती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में प्रवाह बढ़ता है, और छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलता है। यह कुल मिलाकर रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि में सहायक होता है।

9. **वित्तीय समावेशन:** इस योजना के तहत लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में विभिन्न सब्सिडी और ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वे अधिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करते हैं।

10. **सामाजिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता:** आवास की स्थिरता प्राप्त होने से परिवारों को मानसिक शांति मिलती है, जिससे वे अपने अन्य सामाजिक और आर्थिक कार्यों में अधिक फोकस कर पाते हैं। स्थिर आवास उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि करता है, जिससे वे समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - कुछ प्रमुख आंकड़े (2024 तक):

बिंदु	विवरण
योजना की शुरुआत	25 जून 2015
लक्ष्य	सभी के लिए आवास (Housing for all by 2022)
अब तक स्वीकृत घर (PMAY-G+ PMAY-U)	3.4 करोड़+
पूर्ण किए गए घर	लगभग 2.9 करोड़
ग्रामीण क्षेत्र में	2.4 करोड़ घर पूर्ण
शहरी क्षेत्र में	57 लाख घर पूर्ण
महिलाओं के नाम पर स्वामित्व	लगभग 70% मामलों में
प्रति घर औसत सहायता	1.20 लाख - 2.67 लाख (क्षेत्र के अनुसार)
योजना में खर्च	2.5 लाख करोड़ से अधिक

(इन आंकड़ों का स्रोत: भारत सरकार - MoHUA, MoRD, 2024 डेटा)

समस्याएँ और चुनौतियाँ :

1. **हितग्राहियों की पहचान में त्रुटियाँ:** कई बार वास्तविक जरूरतमंदों की पहचान सही तरीके से नहीं हो पाती। अपात्र लोग लाभ ले लेते हैं जबकि पात्र व्यक्ति वंचित रह जाते हैं।

2. **प्रक्रिया की जटिलता और जानकारी का अभाव:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की आवश्यकता, और योजना की शर्तों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती।

3. **भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका:** कई स्थानों पर लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को बिचौलियों को रिश्वत देनी पड़ती है, जिससे योजना का उद्देश्य बाधित होता है।

4. **भौगोलिक और सामाजिक बाधाएँ:** दूर-दराज के इलाकों में योजना का लाभ पहुँचाना कठिन होता है। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में योजना के प्रति जागरूकता की कमी रहती है।

5. **वित्तीय सहायता की अपर्याप्तता:** योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता कभी-कभी घर निर्माण की कुल लागत को पूरा करने में असमर्थ होती है, जिससे निर्माण अधूरा रह जाता है।

6. **समय पर भुगतान में देरी:** कई हितग्राही शिकायत करते हैं कि किश्तों में मिलने वाली राशि समय पर नहीं मिलती, जिससे निर्माण कार्य रुक जाता है।

7. **स्थानीय निकायों की क्षमता की कमी:** योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की सीमित क्षमता और संसाधनों की कमी भी एक प्रमुख चुनौती है।

8. **मजदूरों और निर्माण सामग्री की उपलब्धता:** कई क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री और श्रमिकों की उपलब्धता समय पर नहीं हो पाती, जिससे निर्माण में देरी होती है।

9. **स्थायित्व और गुणवत्ता की समस्याएँ:** कई बार बने हुए मकानों

की गुणवत्ता कम होती है या वे मौसम की मार नहीं झेल पाते, जिससे योजना का उद्देश्य कमजोर पड़ता है।

10. सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: कुछ समुदायों में महिलाओं को मकान का सह-स्वामित्व देना सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, जबकि योजना में यह अनिवार्य है।

सुझाव :

1. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग को बढ़ावा: डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके योजना की प्रगति को रियल-टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और योजना की गति में तेजी आएगी।

2. हितग्राहियों को योजना संबंधी प्रशिक्षण: लाभार्थियों को योजना की प्रक्रिया, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। इससे वे योजना का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे।

3. स्थानीय निकायों की भागीदारी को सशक्त करना: ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और वार्ड समितियों की सक्रिय भागीदारी से हितग्राहियों की पहचान और निगरानी बेहतर होगी।

4. फॉलो-अप और मूल्यांकन तंत्र को सशक्त बनाना: योजना के प्रभाव और दीर्घकालिक परिणामों को जानने के लिए नियमित फॉलो-अप और मूल्यांकन जरूरी है। इससे आवश्यक सुधारों की पहचान की जा सकेगी।

निष्कर्ष : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन एवं निम्न आय वर्ग के नागरिकों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की एक महत्त्वाकांक्षी और प्रभावशाली योजना है। इस शोध के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इस योजना ने न केवल लाभार्थियों को सिर पर छत प्रदान की है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी सुदृढ़ किया है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि स्थायी आवास मिलने के पश्चात लाभार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हुआ है। स्थायी आवास के कारण उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए, जैसे कि गृह आधारित लघु उद्योग, किराये पर कमरे देना आदि। साथ ही बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है।

इसके अतिरिक्त, योजना की पारदर्शिता, सब्सिडी व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राहियों के आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और जीवन स्तर में सुधार हेतु एक प्रभावशाली साधन सिद्ध हो रही है।

मुख्य निष्कर्ष :

1. निवास की स्थिरताने हितग्राहियों को अन्य आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता दी।
2. कई लाभार्थियों ने अपने आवास का उपयोगघरेलू उद्योगया किराए पर देने के लिए किया, जिससे अतिरिक्त आमदनी हुई।
3. बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचमें वृद्धि हुई, क्योंकि स्थायी निवास के कारण बैंक खाता खोलना और ऋण प्राप्त करना आसान हुआ।
4. योजना ने विशेष रूप से महिलाओं केआर्थिक आत्मनिर्भरताको बढ़ाया क्योंकि कई मामलों में घर महिलाओं के नाम पर दिया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय PMAY-G रिपोर्ट।
2. योजना आयोग / नीति आयोग की रिपोर्ट्स।
3. संबंधित राज्य सरकारों की वेबसाइट्स।
4. विभिन्न शोध पत्र व जर्नल्स।
5. समाचार पत्र व मैगजीन रिपोर्ट्स।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना - pmayg.nic.in
7. भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24)।
8. मउगंज जिला पंचायत कार्यालय की आवास योजना रिपोर्ट।
9. स्थानीय समाचार पत्रों से प्राप्त रिपोर्ट्स।

****